रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 12, 1970 (भाद्र 21, 1892)

No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 12, 1970 (BHADRA 21, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 22 जुलाई 1970 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The under-mentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to 22nd July 1970 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4
118	No. 97-ITC(PN)/70, dt. 8-7-70	Ministry of Foreign Trade	Terms and conditions governing the issuance of import licences financed under International Development Association Credit No. 182 IN (Industrial imports).
	सं० 97-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70, दिनांक 8-7-70	विदेश व्यापार मंत्रालय	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ क्रेडिट सं० 182 आई० एन० (औद्योगिक लाइसेंस) के अन्तर्गत—अर्थयुक्त आयात लाइसेंसों को जारी करने सम्बन्धी नियम तथा शर्तें।
	No. 98-ITC(PN)/70, dt. 8-7-70	Do.	Scheme of supply of rough diamonds imported from German Democratic Republic by NDMC Limited.
	सं० 98-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70, दिनांक 8-7-70	तदैव	एन० एम० डी० सी० लिमिटेड द्वारा जर्मनी जनवादी गणराज्य से आयातित अपरिष्कृत हीरों की संभरण योजना।
119	No. 99-ITC(PN)/70, dt. 9-7-70	Do.	Import Policy for Registered exporters for the year April, 70—March-1971 (Amendment No. 16).
	सं० 99-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70, दिनांक 9-7-70	तदैव	अप्रैल 1970 से मार्च 1971 के वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात (नीति संशोधन सं० 16)

1	2	3	4
120	No. 5 ETC(PN)/70, dt. 9-7-70	Ministry of Foreign Trade	Export licensing of ferrous scrap during the licensing period April, 70 to March, 1971.
	सं० 5 ई० टी० सी० (पी० एन०)/70 दिनांक 9-7-70	विदेश व्यापार मंत्रालय	अप्रैल 1970 से मार्च 1971 तक की लाइसेन्स अवधि के लिए फैरस स्क्रेप का निर्यात लाइसेन्स।
121	No. 100-ITC(PN)/70, dt. 13-7-1970	Do.	Conversion of import licences issued for Raw materials, components and spares to small scale industrial units for the licensing periods prior to 1970-71.
	सं० 100–आई० टी० सी० (पी० एन०)/70 दिनांक 13-7-70	तदैव	1970-71 से पूर्व की अवधि के लिए लघु उद्योग एककों का कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जों के आयात के लिए जारी किए गए लाइसेन्सों का परिवर्तन।
122	No. WB-15(17)/69, dt. 14-7-70	Ministry of Labour Employment & Rehabilitation.	Setting up a Central Wage Board for electricity undertakings.
123	No. 101-ITC(PN)/70, dt. 16-7-70	Ministry of Foreign Trade	Registered exporters of the year April, 70—March, 1971 (Amendment No. 17).
	सं० 101-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70 दिनांक 16-7-70	विदेश व्यापार मंत्रालय	अप्रैल 1970 से मार्च 1971 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन सं० 17)
	No. 102-ITC(PN)/70 dt. 16-7-70	Do.	Import Policy for registered exporters for year April 70—March 1971 (Amendment No. 18).
	सं० 102-आई० टी० सी० (पी० एन०)/ 70, दिनांक 16-7-70	तदैव	अप्रैल 1970—मार्च 1971 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन सं० 18)
124	No. 103-ITC(PN)/70, dt. 17-7-70	Do.	Import of 'Dates' (S. No. 21) (b)/IV from IRAN during October, 1969—March 1970 licensing period—Extension in the validity period.
	सं० 103-आई० टी० सी० (पी० एन०)/ 70, दिनांक 17-7-70	तदैव	अक्तूबर 1969—मार्च 1970 लाइसेन्स अवधि के दौरान ईरान से "खजूरों" (क्र० सं० 21) (बी०)/4 का आयात वैधता अवधि में वृद्धि।
	No. 104-ITC(PN)/70, dt. 17-7-70	Do.	Import policy for registered exporters for April, 1970—March 1971 (Amendment No. 19).
	सं० 104-आई० टी० सी० (पी० एन०)/ 70, दिनांक 17-7-70	तदैव	अप्रैल 1970 से मार्च 1971 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन सं० 19)
	No. 105 ITC (PN)/70, dt. 17-7-70	Do.	Import Policy for Registered exporters for the year April 70—March 1971 (Amendment No. 20).
	सं० 105-आई० टी० सी० (पी० एन०)/ 70, दिनांक 17-7-70	तदैव	अप्रैल 1970 से मार्च 1971 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन सं० 20)
	No. 106-ITC(PN)/70, dt. 17-7-70	Do.	Import policy for Registered Exporters for the period April 1970—March, 1971 (Amendment No. 21).
	सं० 106-आई० टी० सी० (पी० एन०)/ 70, दिनांक 17-7-70	तदैव	अप्रैल 1970 से मार्च 1971 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन सं० 21)

1	2	3	4
125	No. 107-ITC(PN)/70, dt. 18-7-70	Ministry of Foreign Trade	Import Policy Registered Exporters—applications for grant of advance licences against export orders for ready made garments (Amendment No. 22).
	सं० 107-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70 दिनांक 18-7-70	वदैव	पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति को बनाए पहनाओं के निर्यात आदेश के लिए अग्रिम लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र (संशोधन सं० 22)
126	No. 46/CI/70, dt. 22-7-70	Lok Sabha	Direction by the speaker under the rules of procedure of Lok Sabha.
	सं० 46/सी० आई० /70, दिनांक 22-7-70	लोक सभा	लोक सभा के प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिया गया निर्देश ।

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	723
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1099
भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1109
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	3235
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	4013
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	577
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1023
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	355
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	899
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	159
पूरक संख्या 37—	
5 सितम्बर 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	1527
16 अगस्त 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	1537

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 725

PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 1099

PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence ... ... —

PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence 1109

PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations ... ... —

PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills .. .. —

PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) 3235

PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) 4013

PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence 577

PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India 1023

PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta... 355

PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .. .. —

PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 899

PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies 159

SUPPLEMENT No. 37

Weekly Epidemiological Reports for week ending 5th September 1970 1527

Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 16th August 1970 1537

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 1970

सं० 42-प्रेज /70—**शुद्धिपत्र**—दिनांक 5 नवम्बर, 1966 के भारतीय राजपत्र के भाग I अनुभाग 1 में प्रकाशित इस सचिवालय की अधिसूचना सं० 76-प्रेज/66 दिनांक 27 अक्तूबर, 1966 में शुद्धि करने हेतु :—

पृष्ठ 720 पर क्रम संख्या 241 में

बास्ते "2/लिफ्टिनेंट मुलाकुड़ी अरुनाचलम लक्ष्मणन (ई० सी०-57514)"

पढ़ें "2/लिफ्टिनेंट मुलाकुड़ी अरुनाचलम लक्ष्मणन (ई० सी०-54514)"

सं० 43-प्रेज/70—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रघुनाथ भालेकर,
कम्पनी हवलदार मेजर सं० 8402,
8वीं बटालियन, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस। **(स्वर्गीय)**

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

केन्द्रीय आरक्षित पुलिस की 8वीं बटालियन की 'डी' कम्पनी को मणिपुर राज्य में माओ नामक स्थान पर सांग्रामिक कार्यवाही के लिए नियुक्त किया गया था। जनवरी/फरवरी, 1969 में कम्पनी कमांडर श्री राम सिंह बलोत को यह सूचना मिलने पर कि विद्रोही मणिपुर राज्य में घुस आए हैं, उन्होंने उन्हें पकड़ने की जवाबी कार्यवाही करने का निश्चय किया। हैड कांस्टेबल रघुनाथ भालेकर ने, जो 'डी' कम्पनी के कम्पनी हवलदार मेजर थे, सांग्रामिक कार्यवाही के लिए अपने को अर्पण किया।

27 फरवरी, 1969 को कम्पनी हवलदार मेजर भालेकर कम्पनी की टुकड़ी में अपने कम्पनी कमाण्डर के साथ विद्रोहियों के छिपने के स्थान का पता लगाने के लिये प्रातः 4 बजे से ही माओ पहाड़ियों के एक जंगली मार्ग से 8809 फुट ऊंचे स्थान (आर० ई० 5149) की खोज में निकल पड़े।

उसी दिन लगभग 6 बजे प्रातः वे पहाड़ी की तलहटी में, जिस मार्ग से जा रहे थे, एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां से दो रास्ते निकलते थे आदेश मिलने पर कम्पनी हवलदार मेजर भालेकर अपनी प्लाटून ऊपर पहाड़ी पर गये। अचानक उनके दल पर विद्रोहियों ने निकट से गोली चलानी शुरू कर दी : अतः पुलिस दल को पृथ्वी पर लेट जाना पड़ा। शत्रु संख्या में अधिक थे और उन्होंने अच्छी खुदी हुई खाइयों में स्थिति सम्भाली हुई थी तथा मध्यम व हल्की मशीनगनों, स्वचालित राइफलों तथा ग्रेनेडों से गोलियां चला रहे थे। विद्रोहियों ने 'हमला करो' शब्द का तीन बार बड़े जोर से उच्चारण किया और पुलिस दल पर छा जाने की कोशिश की। कम्पनी हवलदार मेजर भालेकर शीघ्र ही प्रत्याक्रमण करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अपनी प्लाटून से इतने प्रभावकारी ढंग से जवाब में गोलियां चलाईं कि शत्रु उनकी टुकड़ी को न रोक सका हालांकि लगभग डेढ़ घंटे तक गोलीबारी होती रही। वे अपने आदमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते रहे तथा उनके मोर्चों को भी बदलते रहे जहां से वे अधिक लाभकारी ढंग से गोली चला सकें। ऐसा करते समय उन्हें विद्रोहियों की गोलाबारी के संमुख होना पड़ा। जैसे ही वे विद्रोहियों के मोर्चे के समीप पहुंचने का प्रयत्न कर रहे थे, तो उन्हें छाती के नीचे घातक चोट लगी। वे पृथ्वी पर गिर पड़े और काफी खून बहने पर भी वे सांग्रामिक कार्यवाही का संचालन करते रहे। वे अंतिम गोली रहने तक स्वयं भी गोलियां चलाते रहे।

कम्पनी हवलदार मेजर भालेकर का प्राथमिक उपचार किया गया और उन्हें टुकड़ी के पीछे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। किन्तु विद्रोहियों ने गोलीबारी तेज कर दी। चूंकि स्थिति असुरक्षित हो गई थी और तत्काल जवाबी आक्रमण आवश्यक था, अतः उन्होंने अपने साथियों को उन्हें वहां छोड़ने तथा विद्रोहियों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। इसी बीच अत्यधिक खून बहने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके अन्तिम शब्द थे : 'हमला करो' हमला करो' 'हमला करो'।

अन्तिम सांस तक उन्होंने कर्त्तव्य-निष्ठा, साहस, संकल्प और अपने से अपने साथियों तथा राष्ट्र के हित को ऊंचा समझने का एक विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया।

2. यह पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(I) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृति भत्ता भी दिनांक 27 फरवरी, 1969 से दिया जायेगा।

सं० 44-प्रेज/70—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री रमेश चन्द्र शिटोले,
पुलिस उप-निरीक्षक,
जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश।

श्री हरदास,
हैड कांस्टेबल,
जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

डाकू सूरत सिंह अहीर का गिरोह 14 वर्षों से मध्य प्रदेश के कोटा, गुना तथा शिवपुरी जिलों में डकैतियां, हत्याएं तथा अपहरण कर रहा था। 21 दिसम्बर, 1969 की रात्रि को श्री रमेश चन्द्र शिटोले को एक पुलिस दल के साथ मदनपुर के जंगल में एक नाले के पास सूरत सिंह के गिरोह को रोकने के लिए तैनात किया गया जहां से होकर उस डाकू के गुजरने की सम्भावना थी। पुलिस दल ने नाले पर लगभग 3 घंटे तक प्रतीक्षा की। आधी रात के लगभग उन्होंने कुछ आदमियों को अपनी ओर आते देखा जो मुश्किल से 10 गज की दूरी पर थे। श्री शिटोले ने डाकुओं को ललकारा जिन्होंने पुलिस दल पर गोली चला दी। अपने प्राणों के लिए गंभीर खतरे की परवाह न करते हुये श्री शिटोले और श्री हरदास के नेतृत्व में पुलिस दल ने दृढ़ निश्चय, साहस तथा शक्ति के साथ जवाबी गोलियां चलाईं और डाकू सूरत सिंह को मौत के घाट उतार दिया।

इस मुठभेड़ में श्री रमेश चन्द्र शिटोले तथा श्री हरदास ने महान साहस, एवं कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 21 दिसम्बर, 1969 से दिया जायेगा।

सं० 45-प्रेज/70—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री दुर्गा प्रसाद,
हैड कांस्टेबल, सं० 20,
जिला टीकम गढ़, मध्य प्रदेश।

श्री गोलाम मोहम्मद,
कांस्टेबल सं० 29,
जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

डाकू नारायण सिंह ने 1966 से 1969 तक की अवधि में अनेक जघन्य अपराध किये। 1969 के उत्तरार्ध में उसने एक गिरोह बना लिया और जिला शिवपुरी में सक्रिय हो गया 25 जनवरी, 1970 को जब श्री दुर्गा प्रसाद, हैड कांस्टेबल झांसी से शिवपुरी को एक बस में आ रहे हैं थे तो रास्ते में नारायण सिंह उसी बस में चढ़ गया। श्री दुर्गा प्रसाद ने डाकू को पहिचान लिया किन्तु चुप रहे। जब बस अमोला में रुकी तो उन्होंने कांस्टेबल गुलाम

मोहम्मद की सहायता से जो बस अड्डे पर ड्यूटी पर तैनात था, उस डाकू से आत्मसमर्पण करने को कहा । डाकू ने तुरन्त दो रिवालवर निकाले और श्री दुर्गा प्रसाद पर गोली चला दी । श्री दुर्गा प्रसाद सहसा झुक गए और उन्होंने स्वयं को बचा लिया । फिर श्री दुर्गा प्रसाद और श्री गुलाम मोहम्मद, दोनों ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किये बिना उस डाकू को, जिसके हाथों में भरे हुये रिवालवर थे, थाने से कुछ और पुलिस कर्मचारियों के आने तक दबोचे रखा, उसे निरस्त्र किया और उस पर काबू पा लिया ।

श्री दुर्गा प्रसाद एवं श्री गुलाम मोहम्मद ने महान सूझबूझ पहलशक्ति एवं उच्चस्तरीय साहस का परिचय दिया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिय जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 जनवरी 1970 से दिया जायेगा ।

नागेन्द्र सिंह, राष्ट्रपति के सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 10 अगस्त 1970

सं० 5/1/70/पी० ए० सी०—श्री बाबू नाथ सिंह, लोकसभा के सदस्य, को लोक लेखा समिति की 30 अप्रैल, 1971 को समाप्त होने वाली शेष अवधि के लिए, श्री नीतिराज सिंह चौधरी के स्थान पर जो राज्य मंत्री नियुक्त होने पर समिति के सदस्य नहीं रहे, समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् निर्वाचित घोषित किया गया है ।

ए० एल० राय, उप-सचिव

समाज कल्याण विभाग

संकल्प

नई दिल्ली-1, दिनांक 4 जुलाई 1970

सं० एफ०-25/1/70-एस० डबल्यू०-5—देश में समाज कल्याण कार्यक्रम का विकास लोगों की बदलती हुई आवश्यकताओं से ही सम्बन्धित रहना है । इसके लिए सतत अध्ययन और अनुसन्धान की आवश्यकता है । सामाजिक कार्य के स्कूलों तथा अन्य सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान संस्थाओं द्वारा क्षेत्र-समस्याओं का अध्ययन आरम्भ करने हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं । इन प्रयासों का समन्वय करना है ताकि समाज कल्याण अनुसन्धान कार्य का प्रभावी तथा गुणपूर्ण कार्यक्रम तैयार हो सके ।

2. अतः समाज कल्याण विभाग ने निर्णय किया है कि समाज कल्याण अनुसंधान पर एक स्थायी सलाहकार समिति गठित की जाय जिसकी कार्य शर्तें और सदस्यता इस प्रकार हो :

कार्यशर्तें :

(i) समाज कल्याण कार्य के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन का कार्यक्षेत्र निश्चित करना और क्षेत्रों की आवश्यकताओं के लिए प्राथमिकताएं बताना ।

(ii) अनुसंधान संस्थाओं द्वारा भेजे गये अनुसंधान परियोजनाओं में शामिल किए गए अध्ययन के तरीकों को जांच करना तथा इन परियोजनाओं में अपनाए गए उपागम के सम्बन्ध में विभाग सलाह देना ।

(iii) जदेश में समाज कल्याण अनुसन्धान की तरफ की से सम्बन्धित किसी भी अन्य कार्य में मार्गदर्शन प्रदान करना ।

सदस्यगण :

(i) श्री पी० पी० आई० वैद्यनाथन, अतिरिक्त सचिव ।	अध्यक्ष
(ii) डा० जे० एफ० बुलसारा, पार्क हाऊस, 81 बोड हाउस रोड, बम्बई-5	सदस्य
(iii) डा० एम० एस० गोरे, निदेशक, सामाजिक विज्ञानों का टाटा संस्थान, शीव, चेम्बर, बम्बई-7 ।	सदस्य
(iv) डा० के० बागची, सलाहकार, पोषण, डी० जी० एच० एस०, नई दिल्ली ।	सदस्य
(v) डा० (कुमारी) ई० वी० सिवेश्यिन, सलाहकार, प्रसूति और बाल कल्याण डी० जी० एच० एस०, नई दिल्ली ।	सदस्य
(vi) सामाजिक कार्य स्कूल संघ का प्रतिनिधि ।	सदस्य
(vii) प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के भारतीय संघ का प्रतिनिधि ।	सदस्य
(viii) श्री एम० सी० नानावती, सलाहकार, समाज कल्याण ।	सदस्य-सचिव

समिति को अधिकार होगा कि वह अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सके और इस क्षेत्र के विख्यात अनुसन्धान कार्यकर्त्ताओं को अपनी बैठकों के लिए, जब भी आवश्यक हो, आमंत्रित कर सके ।

3. समिति की सदस्यता के लिए कोई विशेष पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा । तो भी सदस्य इस कार्य के सम्बन्ध में जो यात्राएं करेंगे उनके लिए वे यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे और अधिकारियों के लिए यह उनके विभागों के नियमानुसार होगा तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों के लिए भारत सरकार के ग्रेड-I अधिकारियों के दर जितना होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि समिति के सब सदस्यों भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रीपरिषद सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय मामलों के विभाग, राज्य सरकारों/संघक्षेत्रों के मुख्य सचिवों को भेजी जाये ।

यह भी आदेश किया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

पी० पी० आई० वैद्यनाथन, अतिरिक्त सचिव

वित्त मन्त्रालय

(अर्थ विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 1970

सं० एफ० 16 (20)-एन० एस०/67—श्री देश राज सिंह, आई० ए० एस०, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय बचत, उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में वापस चले जाने पर, 16 मई, 1970 (पूर्वाह्न) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

श्री लक्ष्मी नारायण, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय बचत, दिल्ली ने, उक्त तारीख से, अपने पद के कार्यभार के अतिरिक्त, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय बचत, उत्तर प्रदेश के पद का वर्तमान नेमी कार्य-भार भी ग्रहण कर लिया है।

पी० एन० मालवीय, अनु-सचिव

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 1970

संकल्प

सं० 28 (ii)/70-ओ० आर०—भारत सरकार ने कमीशन्ज आफ इंक्वायरी एक्ट, 1952 (जांच आयोग, अधिनियम, 1952) के अन्तर्गत एक व्यक्ति आयोग, जिसके इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश श्री (न्यायाधिपति) जे० एन० टकरू प्रधान होंगे, की स्थापना का निर्णय किया है।

2. आयोग के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे :—

(क) (1) यह निर्धारण करना कि क्या वैंकटलज़ को सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि से कोई अधिक अदायगी (गोहाटी-सिलीगुरी पाइपलाइन के लिए डिजाइन इन्जीनियर्स तथा समस्त पर्यावेक्षकों के रूप में और बरौनी—कानपुर पाइपलाइन के लिए डिजाइन मोनीटोर्स और परियोजना प्रबन्धकों के रूप में) की गई थी और यदि हां, तो क्या ऐसी अदायगी न्यासंगत थी ?

2. क्या उपर्युक्त परियोजनाओं में वैंकटलज का प्रेरण बुरे इरादे से किया गया और क्या इनके अनुकूल इण्डियन रिफाइनरीज लि०/सरकार के अधिकारियों द्वारा कोई अनुचित पक्षपात किया गया था ?

(ख) यह निर्धारण करना कि क्या हल्दिया-बरौनी कानपुर पाइपलाइन के अन्वेषणों रूपांकनों, निर्माण एवं पर्यावेक्षण से सम्बन्धित सांविदिक प्रलेखों की जांच, संपादन इकट्ठीकरण तथा देख भाल में भूल चूक हुई है और क्या ठेकों से सम्बन्धित बातचीत सेचतना से की गई थी तथा क्या बातचीत के पर्याप्त रिकार्ड रखे गये थे ?

(ग) क्या इण्डियन रिफाइनरीज लि० के भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक ने, हल्दिया-बरौनी कानपुर पाइपलाइन्ज की क्षमता से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों में स्नाम और वैंकटलस के साथ व्यवहार में, निदेशकों के बोर्ड के परामर्श बिना, अपने आप कार्यवाही की; और क्या ठेके के संशोधन का पाइपलाइन की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और क्या बोर्ड/सरकार के ध्यान में इन बातों को न लाने के कारण सूचित किये। इण्डियन रिफाइनरीज लि० के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध लापरवाही या अनुचित उद्देश्य सिद्ध हुआ है तथा विशेष रूप से, क्या महा प्रबन्धक और प्रबन्ध निदेशक वैंकटलस से इण्डियन रिफाइनरीज लि० को लिखे 26 सितम्बर, 1963 के महत्वपूर्ण पत्राचार जिसमें हल्दिया-बरौनी पाइपलाइन की डिजाइन क्षमता 1.9 मिलियन मीटरी टन होने का उल्लेख था, के निपटान में असावधान तथा अनियत थे।

(घ) उन परिस्थितियों की जांच करना; जिन के कारण सरकार द्वारा हल्दिया-बरौनी कानपुर पाइपलाइन की कुल परियोजना लागत की मंजूरी जारी नहीं की गई थी और क्या इस के परिणाम स्वरूप जनहित में कोई हानि हुई ?

(ङ) कोयला युक्त क्षेत्र में से होकर पाइपलाइन बिछाने पर, पश्चिमी बंगाल सरकार और भारतीय खनन विशेषज्ञों द्वारा उठाई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए परामर्श देना कि क्या सरकार इण्डियन रिफाइनरीज लि०/भारतीय तेल निगम के अधिकारियों द्वारा उत्तरदायित्व निभाने में कोई उपेक्षा एवं असावधानी हुई ?

(च) उन परिस्थितियों का निर्धारण करना जिन के कारण जी० एस० पी० लि० परियोजना के लिए इण्डियन रिफाइनरीज लि०/भारतीय तेल निगम ने स्वीकृत अनुमानों से अधिक धनराशि खर्च की;

(छ) उन परिस्थितियों की जांच करना जिनके अन्तर्गत इण्डियन रिफाइनरीज लि०/सरकार ने गोहाटी सिलीगुड़ी और हल्दिया-बरौनी कानपुर पाइपलाईनज़ के लिए सार्वजनिक टैण्डर आमन्त्रित किये बिना, बातचीत के आधार पर, स्नाम-सैपम को निर्माण ठेके दिये,

(ज) परामर्श देना कि क्या सरकार/इण्डियन रिफाइनरीज लि०/भारतीय तेल निगम के किसी अधिकारी और उनके स्टाफ की ओर से किसी उपर्युक्त या अन्य सम्बन्धित विषयों के जो आयोग की राय में सम्बद्ध हों; कर्तव्य पालन में कोई असावधानी या उपेक्षा हुई अथवा इनका कदाशय उद्देश्य था;

(झ) उपर्युक्त भाग (ज) के आधार पर, उन विशेष अधिकारियों के विरुद्ध आगामी कार्यवाही की (यदि कोई हो) सिफारिश करना जिनका आचरण ऐसी कार्यवाही के योग्य आंका गया हो। और

(ट) सामान्तः किसी अन्य विषय पर, जो आयोग की राय में सम्बद्ध है, रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

3. आयोग अपनी पद्धति स्वयं तैयार करेगा। आयोग ऐसी सूचना मांग सकता है तथा ऐसी गवाही ले सकता है; जिन्हें वह आवश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग ऐसी सूचना तथा सहायता देंगे ; जिनकी आयोग को आवश्यकता हो सकती है। भारत सरकार विश्वास करती है कि पश्चिमी बंगाल सरकार और सारे अन्य सम्बद्ध आयोग को पूर्ण सहयोग और सहायता देंगे।

4. आयोग 6 महीनों की अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

5. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र भाग-I, खण्ड-1 में प्रकाशित किया जाए यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सारे मंत्रालय/विभागों, पश्चिमी बंगाल सरकार और अन्य सर्व सम्बद्ध को भेजी जाए ।

ई० एन० मंगतराय, विशेष सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय
(कृषि विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 28 जून 1970

सं० फा० 1-52/68-मत्स्य (त०)—देश में ही विनिर्मित पोतों द्वारा गहरे समुद्र में मत्स्य हरण के विकास की प्रोन्नति के लिये, भारत सरकार ने देश में निर्मित गहरे समुद्र में मत्स्य हरण के पोतों की लागत में आर्थिक सहायता देने की एक योजना चलाने का निश्चय किया है । यह योजना गहरे समुद्र में मत्स्य हरण के उद्देश्य से बनाये गये 57 फुट अथवा उससे अधिक लम्बे लोहेके पोतों पर लागू होगी । यह देश में विनिर्मित किये जा रहेउन पोतों पर लागू नहीं होगी, जिनका निर्माण विदेशी यार्डों में विनिर्मित गहरे समुद्र में मत्स्य हरण के पोतों के आयात की अनुमति देने की शर्तों में से एक शर्त के रूप में, देश में कुछ विशेष संख्या में देशी मत्स्य हरण पोतों के निर्माण सम्बन्धी एक समिति व्यवस्था के अंग के रूप में किया जा रहा है ।

अर्थ सहायता की मात्रा, एक ऐसे ही आयातित पोत की लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य के 27½ प्रतिशत पर निर्धारित की जायेगी । ग्राह्य अर्थ-सहायता किसी भी हालत में देशीय पोत की लागत तथा उसी के समान आयातित पोत की लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य के अन्तर तक सीमित रहेगी ।

खाद्य और कृषि मन्त्रालय में विभिन्न मानकित विनिर्देशों वाले देशीय पोतों के उचित मूल्य तथा तदनुरूपी आयातित पोतों के लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य के निर्धारण के लिये एक समिति गठित की जायेगी । जहाज-निर्माण यार्डों को उसी के समान आयातित पोतों के लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य के 27½ प्रतिशत के बराबर अर्थ-सहायता ग्राह्य होगी, जो कि देश में ही विनिर्मित पोत के निर्धारित उचित मूल्य तथा तदनुरूपी आयातित जहाज के लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य के अन्तर तक सीमित रहेगी । इस प्रकार परिगणित की जाने वाली अर्थ सहायता उन मामलों में ही ग्राह्य होगी जहां कि जहाज विनिर्माता फर्म द्वारा क्रेता से लिया जाने वाला मूल्य समिति द्वारा देश में ही निर्मित पोत के सम्बन्ध में प्राक्कलित उचित मूल्य में से अर्थ सहायता की ग्राह्य मात्रा कम करने पर आयी राशि के बराबर अथवा कम हो । प्रत्येक मानकित डिजाइन के लिये निर्धारित अर्थ सहायता देश में ही निर्मित पोतों के तदनुरूपी निकटतम डिजाइनों के लिये ग्राह्य होगी ।

अर्थ सहायतायें उन्हीं अवधियों के लिये वैध रहेंगी जिनके लिये उन्हें निर्धारित किया गया हो ।

जहाज विनिर्माता फर्म को व्यापारी समुद्री परिवहन विभाग अथवा ऐसी किसी एजेन्सी से, जो कि निर्धारित कर दी जाये, इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि पोत को सम्बन्धित विनिर्देशों के अनुसार विनिर्मित किया गया है ।

ए० के० सान्याल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 1970

संकल्प

विषय :—वन अनुसंधान संस्था एवं महाविद्यालय, देहरादून कोर्ट का गठन

सं० 15-6/69-वन—वन अनुसंधान संस्था एवं महाविद्यालय देहरादून के कोर्ट और इसकी कार्यकारी परिषद् के संविधान में गठन विषयक तबदीलियों और अन्य तबदीलियों के परिणामस्वरूप, यह आवश्यक समझा गया कि खाद्य और कृषि मन्त्रालय संकल्प संख्या एफ० 12-4/59-वन, दिनांक 4 नवम्बर, 1961 में जिसमें समय-समय पर संशोधन किये गये हैं, निम्न प्रकार अनुवर्ती वृद्धियां/प्रतिस्थापनायें की जायें :—

(1) संकल्प के पैरा 1 के आखिरी से पहले वाक्य में 'पांच' शब्द के स्थान पर 'सात' शब्द प्रतिस्थापित करें ।

(2) संकल्प के पैरा 2 में, "वन अनुसंधान संस्था एवं महाविद्यालय के कोर्ट के गठन" के अन्तर्गत वन महानिरीक्षक के नीचे और अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्था एवं महाविद्यालय के ऊपर, निम्न जोड़िए:—

"संयुक्त सचिव (खाद्य और कृषि) व्यय विभाग वित्त मन्त्रालय	सदस्य
निदेशक (आन्तरिक वित्त) कृषि विभाग	सदस्य

(3) संकल्प के पैरा 2 में "कार्यकारी परिषद् के गठन" के अन्तर्गत, वन महानिरीक्षक के नीचे और अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्था एवं महाविद्यालय के ऊपर, निम्न जोड़िए:—

"संयुक्त सचिव (खाद्य और कृषि) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय,	सदस्य
निदेशक (आन्तरिक वित्त) कृषि विभाग	सदस्य

(4) संकल्प के पैरा 4-ए की 8वीं पंक्ति में "वन के प्रभारी संयुक्त सचिव" शब्दों के स्थान पर "वन महानिरीक्षक और पदेन अपर सचिव" शब्द प्रतिस्थापित करें ।

(5) संकल्प के पैरा 4-ए की 10वीं पंक्ति में "संयुक्त सचिव" शब्द के स्थान पर "वन महानिरीक्षक" शब्द प्रतिस्थापित करें ।

(6) संकल्प के पैरा 5 के अन्त में दिए गए पूर्ण विराम के स्थान पर अर्द्ध-विराम लगायें और निम्न जोड़िए,

बशर्ते कि यदि किसी मामले में वित्तीय व्यय करना हो तो उसे बैठक के दिन से 15 दिन पूर्व अवश्य ही परिचारित कर देना चाहिए जिससे कि संयुक्त सचिव (खाद्य और कृषि) व्यय विभाग, वित्त मन्त्रालय, अग्रिम रूप से उसकी जांच कर सकें।"

(7) पैरा 12 (ii) के अन्तिम वाक्य में:—पूर्ण विराम के स्थान पर अर्द्ध-विराम लगायें और निम्न जोड़िए:—

"बशर्ते कि यदि किसी मामले में वित्तीय व्यय करना हो, तो उसे बैठक के दिन से 15 दिन पूर्व अवश्य ही परिचारित कर देना चाहिए जिससे कि संयुक्त सचिव (खाद्य और कृषि), व्यय विभाग, वित्त मन्त्रालय, अग्रिम रूप से उसकी जांच कर सकें।"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के समस्त मन्त्रालयों और विभागों तथा समस्त राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों, योजना आयोग, मन्त्रिमण्डल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, प्रधान मन्त्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा वन अनुसन्धान संस्था एवं महाविद्यालय, देहरादून के कोर्ट और उसके कार्यकारी परिषद् के समस्त सदस्यों, निदेशक (आन्तरिक वित्त) को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर० सी० मोनी, वन महानिरीक्षक तथा पदेन अवर सचिव

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय

(एस० एस० एण्ड डी प्रभाग)

(एस० आर० अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 1970

सं० 14(7)/68 एस० आर०-I-खण्ड-II—राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत कम्पनी) के संस्था के अन्तर्नियम के अनुच्छेद 89 (i) के उपबन्धों के अंतर्गत, डा० सी० वी० एस० रतनम, अधीक्षक (रसायन) नेयवेली लिगनाइट निगम लिमिटेड, जिला दक्षिण अरकोट, तामिल नाडु, को 21 अगस्त, 1970 से उपरोक्त निगम के निदेशक-मंडल पर निदेशक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, निगम के संस्था के अन्तर्नियम के अनुच्छेद 94 (a) के अन्तर्गत डा० रतनम को 21 अगस्त, 1970 से राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के प्रबन्धक निदेशक के रूप में भी सहर्ष नियुक्त करते हैं।

बी० एन० भारद्वाज, उप-सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 31st August 1970

CORRIGENDUM

No. 42-Pres./70.—In this Secretariat Notification No. 76-Pres./66, dated the 27th October, 1966, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India dated the 5th November, 1966 :—

On page 732 against serial No. 241

For "2/Lt. MULAKUDI ARUNACHALAM LAKSHMANAN (EC-57514)"

Read "2/Lt. MULAKUDI ARUNACHALAM LAKSHMANAN (EC-54514)"

No. 43-Pres./70.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police :—

Name of the officer and rank

Shri Raghunath Bhalekar,
Company Havildar Major No. 8402,
8th Battalion, Central Reserve Police. *(Deceased)*

Statement of services for which the decoration has been awarded.

'D' Company of 8th Battalion Central Reserve Police was posted at Mao in Manipur State, on operational duties. On an information received by Company Commander Shri Ram Singh Balot, during January/February, 1969 that Hostiles had entered Manipur State, he decided to take counter-measures to capture them. Head Constable Raghunath Bhalekar who was the Company Havildar Major of 'D' Company volunteered to go on operational duties.

On the 27th February, 1969, Company Havildar Major Bhalekar was with his Company Commander in the Company Column, from 0400 hours onwards going along a jungle track in the MAO hills to search a hill feature 8809 feet high (RE 5149), in an attempt to locate hostile hide-outs.

At approximately 0600 hours on that day, they reached a bifurcation on the track along which they were proceeding at the foot of the hill feature. Company Havildar Major Bhalekar on being ordered went up the hillock with his Platoon. His party was suddenly fired upon by the hostiles from close range and was thus pinned down to the ground. The enemy was strong in numbers and occupied well dug-in positions and had opened up with medium and light machine guns, automatic rifles and grenades. The hostiles shouted 'charge' thrice and tried to over run the party. Company Havildar Major Bhalekar was quick and sharp to react and retaliated from his Platoon position in an effective manner that the enemy was unable to interfere with his column even though fire was exchanged for about one and a half hours. He moved about from one position to another cheering his men up and adjusting their firing positions to the best advantage. In so doing he was exposed to hostile fire. As he was trying to reach the proximity of the hostile position he was mortally wounded below his chest. He fell to the ground and, despite profuse bleeding, continued to direct the operations. He himself kept on firing till the last round.

Company Havildar Major Bhalekar was given first-aid and evacuated to a position of safety in the rear of the column, but the hostiles intensified their fire. As the situation grew untenable and a counter attack became imminent he immediately bade his friends to leave him there and attack the hostiles. In the meanwhile, due to profuse bleeding, he died. His last words were "Charge, Charge, Charge."

His was an outstanding example of devotion to duty, courage, determination and holding the interest of his men and Nation above self, to his last breath.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 27th February, 1969.

No. 44-Pres./70.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Names of the officers and ranks

Shri Ramsh Chandra Shitole,
Sub-Inspector of Police,
District Shivpuri,
Madhya Pradesh.

Shri Hardas,
Head Constable,
District Shivpuri,
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

The gang of dacoit Surat Singh Ahir had been committing dacoities, murders and kidnappings in the districts of Kota, Guna and Shivpuri of Madhya Pradesh for 14 years. On the night of 21st December, 1969, Shri Ramesh Chandra Shitole was detailed with a Police party to intercept the gang of Surat Singh near a Nala in the jungle of Madanpur through which the dacoit was likely to pass. The Police party waited in the Nala for nearly 3 hours. At about mid-night they saw some persons approaching towards them at a distance of hardly 10 yards. Shri Shitole challenged the dacoits who opened fire on the Police party. Notwithstanding the grave danger to their lives the Police party under the leadership of Shri Shitole and Shri Hardas, returned the fire with great determination, courage and vigour and killed dacoit Surat Singh.

In this encounter Shri Ramesh Chandra Shitole and Shri Hardas displayed great courage and devotion to duty.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 21st December, 1969.

No. 45-*Pres.*/70.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Names of the officers and ranks

Shri Durga Prasad,
Head Constable No. 20,
District Tikamgarh,
Madhya Pradesh.

Shri Gulam Mohammad,
Constable No. 29,
District Shivpuri,
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Dacoit Narayan Singh committed a number of heinous offences during the period 1966-69. During the latter half of 1969, he formed a gang and started operating in Shivpuri District. On the 25th January, 1970, while Shri Durga Prasad, Head Constable, was coming in a bus from Jhansi to Shivpuri, Narayan Singh boarded the same bus on the way. Shri Durga Prasad recognised the dacoit but kept quiet. When the bus stopped at Amola, he, with the assistance of Constable Gulam Mohammad, who was on duty at the bus stand, asked the dacoit to surrender. The dacoit immediately took out two revolvers and fired at Shri Durga Prasad. Shri Durga Prasad ducked and saved himself. Then both Shri Durga Prasad and Shri Gulam Mohammad, in disregard of their personal safety, grappled with the dacoit who was holding loaded revolvers in his hands, till some more Policemen came from the Police Station, disarmed the dacoit and overpowered him.

Shri Durga Prasad and Shri Gulam Mohammad showed great presence of mind, initiative and courage of a high order.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 25th January, 1970.

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-1, *the* 10*th August* 1970

No. 5/1/70/*PAC.*—Shri Babunath Singh, Member of Lok Sabha has been declared as duly elected to serve as a member of the Committee on Public Accounts for the unexpired portion of its term ending on the 30th April, 1971, *vice* Shri Nitiraj Singh Chaudhary ceased to be a member of the Committee on his appointment as a Minister of State.

A. L. RAI, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

New Delhi-1, *the* 4*th July* 1970

No. F. 25/1/70-*SW.5.*—The development of the programme of Social Welfare in the country has to be related to the changing needs of people. This calls for constant study and research. A number of efforts are already being made to undertake studies of the field problems by schools of social work and other social science research organisations. These efforts have to be coordinated so as to evolve an effective purposeful programme of Research in Social Welfare.

2. The Department of Social Welfare has decided, therefore, to constitute a Standing Advisory Committee on Social Welfare Research with the following terms of reference and membership :

Terms of Reference :

(i) To work out the areas of research and study in the field of Social Welfare and to indicate priorities that should be given to the subjects and areas of research to meet the requirements of the field.

(ii) To examine the methods of study included in different research projects submitted by the research organisations and to advise the Department on the approach adopted in the preparation of these projects.

(iii) To guide in any other work related to promotion of Social Welfare research in the country.

Membership

Chairman

(i) Shri P. P. I. Vaidyanathan, Additional Secretary.

Members

(ii) Dr. J. F. Bulsara, Park House, 81, Wode House Road, Bombay-5.

(iii) Dr. M. S. Gore, Director, Tata Institute of Social Sciences, Sion, Chembur, Bombay-71 A. S.

(iv) Dr. K. Bagchi, Adviser, Nutrition, D.G.H.S., New Delhi.

(v) Dr. (Miss) E. V. Sebastian, Adviser, Maternity and Child Welfare, D.G.H.S., New Delhi.

(vi) Representative of the Association of Schools of Social Work.

(vii) Representative of the Indian Association of Trained Social Workers.

Member-Secretary

(viii) Shri M. C. Nanavatty, Adviser, Social Welfare.

The Committee will have powers to co-opt Additional members and invite eminent research workers in the field to attend its meetings as and when necessary.

3. No special remuneration will be paid for the membership of the Committee. The members will, however, be entitled to draw T.A. and D.A. etc. for the journeys undertaken by them in connection with this assignment in accordance with the rules applicable to them in their respective Departments in the case of officials and at the rate admissible to Grade I officers of the Government of India in the case of non-officials.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be sent to all Members of the Committee, all Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Chief Secretaries of State Governments/Union Territories.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. P. I. VAIDYANATHAN, Addl. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 18th July, 1970

CORRIGENDUM

No. 20/1/70-AIS(I).—In the Ministry of Home Affairs Notification No. 20/1/70-*AIS(I)* dated the 7th March, 1970, published in Part I Section 1 of the Gazette of India of the 7th March, 1970 the following changes may be corrected :—

Reference	*For*	*Read*
Rules		
1. Page 217, col. 2, line 1	20/1/69-AIS(I)	20/1/70-AIS(I)
2. Page 218, col. 1, item (viii), under category III ..	(iii) The Railway Board Secretariat Service, Class II.	(viii) The Indian Railway Accounts Service.
3. Page 218, col. 1, last sub-para of para 1, line 4 ..	Communicable	Communicate
4. Page 220, col. 1, Note II below Rule 8, last line.	examinations	examination
5. Page 221, col. 1, para 22(a) line 5	Service	Services
APPENDIX II		
6. Page 221, col. 2, Section I para A(i), line 3 ..	Sub-Ssection	Sub-Section
7. Page 222, col. 1, Section II, item (b), line 3 ..	Candidatee	Candidates
8. Page 222, col. 1, Section II, item (b) sub-item No. (11).	Gujarat	Gujarati
SCHEDULE TO APPENDIX II		
9. Page 224, col. 2, item 3 III (Sampling distribution etc.) sub-para 2, last line.	Pearsonian	Pearsonian 2
10. Page 225, col. 1, line 1 from the top	population	population
11. Page 225, col. 1, IV. Sampling Technlques, lines 3 and 4.	Stratified sam—regression methods of estimation. Designing of sample surtion.	Stratified sampling. Cluster sampling. Systematic sampling. Description.
12. Page 225, col. 1, last line	this	thio
13. Page 225, col. 2, under the heading *Aromatic*, sub-para 2, line 1.	moleculan	molecular
14. Page 226, col. 1, 9. Geography, sub-para 2, line 2.	of	on
15. Page 230, col. 1, 8. English Literature, para 1, line 3.	coleridge	Coleridge
16. Page 230, col. 1, 9(b). Indian History, *Economic life*, 2nd line.	industry	Industry
17. Page 234, col. 1, line 2 from the top	If	if
18. Page 236, col. 1, 2nd line from bottom	tre	the
19. Page 237, col. 2, Note 1 below item 11(f) line 1.	to	the
20. Page 238, col. 2, para 13(g) line 5	have claim	have no claim
21. Page 238, col. 2, 14. Indian Railway Accounts Service, para (b), last but one line.	staff	Staff
22. Page 239, col. 1, sub-para (h)(i)(a) Senior Administrative Grade.	2500/-	2250
23. Page 239, col. 2, para 15(g)(v) line 1	Deputy	Deputy
24. Page 241, col. 1, *Note 1*. 2nd line.	at the Railway Staff College, Baroda, in two phases. The test.	reduce at their discretion the period of training in the case.
25. Page 241, col. 1, Note 2, line 1	Probations	Probationers
26. Page 242, col. 2, 19. The Railway Board's Secretariat Service Class II sub-para (a), Sl. No. (ii) Deputy Director's Grade.	=200 S. P. per month	+200 S. P. per month
27. Page 242, col. 2, 19. The Railway Board's Secretariat Service Class II sub-para (a) Sl. No. (v) Assistant.	350	530
28. Page 243, col. 1, para 20(c) line 4	be incharge	be heads of Sections while Civilian Staff Officers will normally be incharge.

Reference	For	Read
29. Page 243, col. 2, line 1 from the top	Two years which may be extended at the discretion	Probation he may discharge him from the Service.
30. Page 245, col. 1, para 2(b) under the heading "NON-TECHNICAL" item (2)	Nicobar Islands Police	Nicobar Islands Police Service.
31. Page 247, col. 2, (a) Candidate's Statement and declaration, line 4.	Note	Note below
32. Page 248, col. 1, item 6. Furnish the following particulars concerning your family. (col. 2 and 4).	health	death
33. Page 249, col. 1, (b) line 5	Station	Service.
34. Page 243, col. 1, lines 2 and 3 from the top ..	The words "in the other.....Railways but" may be omitted.	
35. Page 243, col. 1, para 20(c)	Line 3 and the letters "cers" in line 4 may be omitted.	
36. Page 247, col. 1, para 10(j), 2nd line.	The 2nd line may be omitted.	
37. Page 247, col. 1, para 10(l) 2nd line	The 2nd line may be omitted.	
38. *Below para 10(l)*	*The following words may be added* (m) that he is free from communicable diseases.	

B. NARASIMHAN, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 22nd June 1970

No. F. 16(20)-*NS*/67.—Shri Desh Raj Singh, I.A.S., Regional Director, National Savings, Uttar Pradesh, relinquished charge of his post with effect from 16th May, 1970 (F/N) on reversion to the Government of Uttar Pradesh.

Shri Lachmi Narain, Regional Director, National Savings, Delhi has taken over current charge of routine duties of the post of Regional Director, National Savings, Uttar Pradesh, in addition to his own duties from the same date.

P. N. MALAVIYA, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS AND *MINES & METALS*

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 22nd August 1970

RESOLUTION

No. 28(11)/70-*OR*.—The Government of India have decided to set up a one-man Commission under the Commission of Inquiry Act, 1952, headed by Shri (Justice) J. N. Takru, Retired Judge of Allahabad High Court.

2. The terms of reference of the Commission will be as follows :—

(a) (i) to determine whether any payment to Bechtels (as Design Engineers and overall Supervisors in Ganhati-Siliguri Pipeline and as Design Monitors and Project Managers in Haldia-Barauni-Kanpur Pipeline) was made in excess of the amount sanctioned by Government and if so, was such payment justified ?

(ii) was the induction of Bechtels into the aforesaid projects mala-fide, and were they shown any undue favour by officials of the IRL/ Government.

(b) to determine whether there have been omissions in regard to scrutinising, editing, compiling and maintaining contractual documents relating to the investigations, designs, construction and supervision of the Haldia-Barauni-Kanpur pipeline and whether the negotiations leading to the contracts were carried out diligently and whether adequate records of the negotiations were kept;

(c) whether the then Managing Director, IRL, acted on his own by passing the Board of Directors in his dealings with Snam and Bechtels in vital matters concerning the capacity of the Haldia-Barauni-Kanpur Pipeline, and whether the amendment of the contract adversely affected the capacity of the pipeline, and whether negligence or improper motive is substantiated against the MD, IRL, for not bringing these to the notice of the Board/Government and, in particular, whether the General Manager and MD were perfunctory and casual in dealing with an important communication of the 26th September, 1963 from Bechtels to IRL mentioning the design capacity of Haldia-Barauni Pipeline as 1.9 million tonnes per year;

(d) to investigate the circumstances in which the sanction for the total project cost of HBK pipeline was not issued by Government and whether there was any loss to the public interest as a result;

(e) in view of the objections raised by West Bengal Government and Indian Mining experts over the laying of the pipeline over coal bearing area, to advise whether there was any carelessness and negligence in discharge of responsibilities by Government/IRL/IOC officials;

(f) to determine the circumstances in which the IRL/ IOC spent money in excess of the sanctioned estimates in the case of the GSPL Project;

(g) to investigate the circumstances under which IRL/ Government awarded the construction contracts for Gauhati-Siliguri and Haldia-Barauni-Kanpur pipelines to Snam-Saipem on negotiated basis without calling for global tenders;

(h) to advise on whether there has been any negligence or carelessness or mala-fide motive on the part of any of the officers of Government/IRL/IOC and their staff in the discharge of their duties on any of the foregoing or other related issues, which, in the opinion of the Commission, are relevant;

(i) arising out of (h); to recommend further action, if any, that must be taken against particular officials whose conduct is assessed as meriting this; and

(j) generally, to report on any other matter that is relevant, in the opinion of the Commission.

3. The Commission will devise its own procedures. It may call for such information and take such evidence as it may consider necessary. The Ministries/Departments of Government of India will furnish such information and render such assistance as may be required by the Commission. The Government of India trust that the Government of West Bengal

and all others concerned wil lextend their fullest co-operation and assistance to the Commission.

4. The Commission will submit its report within a period of six months.

5. The Headquarters of the Commission will be at New Delhi.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of Government of India, Government of West Bengal and all others concerned.

E. N. MANGAT RAI, Spl. Secy.

MINISTRY OF FOOD & AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT & CO-OPERATION

(Department of Agriculture)

RESOLUTION

New Delhi, the 29th August 1970

SUBJECT :—*Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun—Constitution of a Court for the.*

No. 15-6/69-*F.*—Con equent upon changes in the composition and other changes in the Constitution for the Court of the Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun and its Executive Council, it has been found necessary to carry out the following consequential additions/substitutions in the Ministry of Food & Agriculture Resolution No. F. 12-4/59-F., dated the 4th November, 1961, as amended from time to time.

(1) *Substitute* the work "Seven" for the word 'Five' in the pen-ultimate sertence of paragraph 1 of the Resolution.

(2) In paragraph 2 of the Resolution under "Composition of the Court of the Forest Research Institute and Colleges" below Inspector General of Forests and above President, Forest Research Institute and Colleges, *insert* the following :—

"Joint Secretary (F&A),
Department of Expenditure
Ministry of Finance. *Member*

Director (Internal Finance)
Agriculture Department. *Member.*"

(3) In paragraph 2 of the Resolution under "Composition of the Executive Council", below Inspector General of Forests and above President, Forest Research Institute and Colleges, *insert* the following :—

"Joint Secretary (F&A),
Department of Expenditure,
Ministry of Finance. *Member*

Director (Internal Finance),
Agriculture Department. *Member.*"

(4) *Substitute* the words "Inspector General of Forest and *Ex-officio* Additional Secretary" for the words "Joint Secretary in-charge of Forests" in line 8 of paragraph 4-A of the Resolution.

(5) *Substitute* the words "Inspector General of Forests" for the words "Joint Secretary" in line 10 of paragraph 4-A of the Resolution.

(6) *Substitute* a comma for the fullstop appearing at the end of paragraph 5 of the Resolution and *add;*
"provided that any matter involving financial issues must have been circulated 15 days in advance of the date of meeting to enable examination in advance by the Joint Secretary (F&A) Department of Expenditure, Ministry of Finance."

(7) In paragraph 12 (ii) in last sentence ;
substitute a comma for the fullstop and *add* :—
"provided that any matter involving financial issues must have been circulated 15 days in advance of the date of meeting to enable examination in advance by the Joint Secretary (F&A) Department of Expenditure, Ministry of Finance."

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India and all the State Governments and Union Territories, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Prime Minister's Secretariat, President's Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all members of the Court of the Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun and its Executive Council, Director (I.F.).

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. C. SONI, Inspector General of Forests & *Ex-officio* Addl. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & YOUTH SERVICES

New Delhi the 28th August 1970

No. 14(7)/68-*SRI.Vol.II.*—Under the provisions of Article 89(i) of the Articles of Association of the National Research Development Corporation of India (a Company registered under the Companies Act 1956), the President is pleased to appoint Dr. C. V. S. Ratnam, Superintendent (Chemical), Neyveli Lignite Corporation Limited, South Arcot District, Tamil Nadu, to be a Director on the Board of Directors of the said Corporation with effect from the 21st August, 1970.

The President is further pleased to appoint Dr. Ratnam as a Managing Director of the National Research Development Corporation under Article 94(a) of the Articles of Association of the Corporation with effect from the 21st August, 1970.

B. N. BHARDWAJ, Dy. Secy.